


53

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय ज्वालियर

राजस्व म.प्र.



मोहन लाल मौरा 15
रा आज दि 28-17 को
प्रस्तुत
ज्वालियर के ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म.प्र. ज्वालियर

PBR/निगरानी/रतलाम/भूरा/2013/2503

गणपतलाल पिता श्री रामेश्वरी जी जाति कुलम्बी
निवासी-ग्राम हनुमंतिया तह.जावरा जिला रतलामप्रार्थी
विरुद्ध

1. समरथ कुमार पिता आशाराम जी जाति सुतार
2. बालाराम पिता रामेश्वर जी जाति कुलम्बी

निवासीगण-ग्राम हनुमंतिया तह.जावरा जिला रतलामप्रतिप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं. 1959

अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय टप्पा तहसील

दोहर के प्रकरण क्रमांक 24 अ-6/16-11/आदेश दिनांक 18-11-2011 से असंतुष्ट

होकर यह निगरानी प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/2503

जिला रतलाम


स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

3.8.2017

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार टप्पा ढोढर तहसील जावरा जिला रतलाम के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-07-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन न होने से नामान्तरण की कार्यवाही स्थगित करने का आवेदक का अनुरोध अमान्य किया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।


अध्यक्ष

